न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 102/2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

राजेश कुमार भूतना पुत्र जगनलाल भूतना (निर्माता एवं वितरक)
मैसर्सः—एक्वाहोम एप्लाईन्स, जी—92 फैज—2, रीको, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 08, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री प्रताप सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक —09.05.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 18.01.2023 को समय प्रातः 11.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—ऐक्वाहोम एप्लाईन्स, जी—92 फैज—2, रीको, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर राजेश कुमार भूतना पुत्र जगनलाल भूतना (निर्माता एवं वितरक) निवासी—वार्ड नं. 08, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास निर्माण इकाई पर लगभग 960 लीटर Packaged Drinking Water (Yash Brand) 01 लीटर वजनी प्लास्टिक सीलड बोतल तैयारशुदा आमजन जनता के बेचान वास्ते रखी हुई थी। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 12 मूल सील्ड बोतल 01 लीटर वजनी Packaged Drinking Water (Yash Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Packaged Drinking Water (Yash Brand) की 12 मूल सील्ड प्लास्टिक बोतलों का खरीद मूल का 70/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैस मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 05 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवदेन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Packaged Drinking Water (Yash Brand) 01 लीटर वजनी 12 मूल सील्ड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—2374 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2374 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से बांधकर चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूनों पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये व चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.21 18:16:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 58 दिनांक 30.01.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/2426–27 दिनांक 06.02.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Packaged Drinking Water (Yash Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Packaged Drinking Water (Yash Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र मिसब्राण्डेड घोषित किया गया है। जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अप्रार्थी ने एफएसएसए की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन नहीं किया है। एफएसएसए की धारा 31 (2) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ दिया जाना चाहिए। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस में इस्तागासे में दर्ज तथ्यों का दोहराव करते हुए अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Packaged Drinking Water (Yash Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Packaged Drinking Water (Yash Brand) का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी Misbranded Packaged Drinking Water (Yash Brand) विक्रेता एवं मालिक जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.21 18:16:06 IST
Reason: SelfAttested

(उमेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़